



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

12 ज्येष्ठ 1938 (श०)

(सं० पटना 439) पटना, बृहस्पतिवार, 2 जून 2016

निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग

(निबंधन)

अधिसूचना

1 जून 2016

सं० 10/मु. छूट-37/2016-2707—भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की धारा-09 की उप-धारा (1) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल, ऑनलाईन रजिस्ट्रीकरण की प्रक्रिया के अधीन स्टाम्प ड्यूटी का ऑनलाईन भुगतान करने पर देय स्टाम्प ड्यूटी की राशि में 1% (एक प्रतिशत), अधिकतम ₹ 2,000/- (दो हजार रुपये) मात्र तक की छूट प्रदान करते हैं।

02. यह तात्कालिक प्रभाव से प्रवृत्त होगी।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
के० के० पाठक,
सरकार के प्रधान सचिव।

1 जून 2016

सं० 10/मु. छूट-37/2016-2707—उपर्युक्त अधिसूचना का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन उक्त राज्यादेश का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
के० के० पाठक,
सरकार के प्रधान सचिव।

The 1st June 2016

No. 10/Mu. Discount-37/2016-**2707**—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of Section-9 of the Indian Stamp Act 1899 the Governor of Bihar is pleased to give discount of 1% (one percent), maximum upto Rs. 2000/- (Rupees two thousand) only in the amount of payable stamp duty on online payment of stamp duty under the online registration process.

02. It shall come into force with immediate effect.

By Order of the Governor of Bihar,

K. K. Pathak,

Principal Secretary to the Government.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 439-571+500-डी०टी०पी०।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>